रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 7, 2014/आश्विन 15, 1936
No. 286] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 7, 2014/ASVINA 15, 1936

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2014

सं. इको टी2/2014–के.वि.वि.आ.–विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "पारेषण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली मार्गदर्शक सिद्धांत" (10 अक्तूबर, 2008 तक यथासंशोधित), प्रस्ताव के लिए मानक अनुरोध (आरएफपी) के खंड 3.3.1.3 (क), तथा मानक पारेषण सेवा करार (टीएसए) दस्तवोज की अनुसूची 7 के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग बोली मूल्यांकन तथा संदाय के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित दरों को अधिसूचित करता हैः

I. बोली मूल्यांकन के लिए वार्षिक वृद्धि दर (31.03.2015 तक की बोली खोलने के लिए)

क्र.म.	विवरण	बोली मूल्यांकन के लिए वार्षिक वृद्धि दरें
1.	वृद्धि योग्य पारेषण प्रभारों के लिए वार्षिक वृद्धि दर	6.53%
2.	स्तरीकृत पारेषण प्रभारों की संगणना के लिए छूट दर	10.69%

II. 01.10.2014 से 31.03.2015 के बीच के लिए पारेषण सेवा करार के अनुसार भुगतान के प्रयोजन के लिए लागू वार्षिक वृद्धि दरः

क्र.म.	विवरण	संदाय के लिए वार्षिक वृद्धि दर
1.	वृद्धि योग्य पारेषण प्रभारों के लिए वार्षिक मुद्रा स्फीति दर	1.66%

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/14]

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th September, 2014

No. Eco T2/2014-CERC.— In pursuance of the "Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service" (as amended up to 10th October, 2008) issued by Ministry of Power, Government of India, Clause 3.3.1.3 (a) of the Standard Request for Proposal (RFP), and Schedule 7 of the Standard Transmission Service Agreement (TSA) documents, the Central Electricity Regulatory Commission hereby notifies the following rates for the purpose of bid evaluation and payment.

I: Annual Escalation Rates for Bid Evaluation (for bid opening upto 31.03.2015)

S. No.	Description	Annual Escalation Rates for Bid Evaluation
1	Annual escalation rate for escalable transmission charges	6.53%
2	Discount rate for computation of levelized transmission charges	10.69%

II: Annual Escalation Rate applicable for the purpose of payment as per the Transmission Service Agreement for the period between 01.10.2014 to 31.03.2015

S. No.	Description	Annual Escalation Rate for Payment
1	Annual inflation rate for escalable transmission charges	1.66%

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./150/14]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2014

सं.एल–7/1/0एस44(59)–केविविआ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के साथ पठित धारा 91(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) विनियम, 2008 (जिसे इसे इसके पश्चात् "मूल विनियम" कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (परामर्शियों की नियुक्ति) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014 है।

   (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 4 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

   "परामर्शियों को विनिर्दिष्ट कार्य (विशेष कार्य) और परिदेयों हेतु यथा अपेक्षित न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और किसी भी दशा में परामर्शियों की नियुक्ति लगातार 4 वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होगी।

3. **विनियम 7 के अंतर्गत नए खंड का अंतःस्थापन** : मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड (1क) जोड़ा जाएगा, अर्थात्:–

   "(1क) वयैक्तिक परामर्शी को 'सलाहकार' की श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा जिसको प्रत्येक माह ₹ 1,50,000/– की अधिकतम समेकित फीस (सेवा कर, यदि लागू हो, को छोड़कर) दी जाएगी या 'वरिष्ठ सलाहकार' की श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा जिसको प्रतिमाह

₹ 2,25,000/- (सेवा कर, यदि लागू हो, को छोड़कर) की समेकित दी जाएगी जो उनकी शैक्षणिक योग्यताओं, वर्षों के कुल अनुभव, क्षेत्र की विशेषज्ञता और परिदेय के लिए अपेक्षित जानकारी को ध्यान में रखते हुए, उसके अनुरूप होगी। योग्य मामलो में, ऊपर उपदर्शित फीस के 10 प्रतिशत से अनधिक अतिरिक्त फीस चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर और अध्यक्ष के अनुमोदन के बाद आरंभिक नियुक्ति के समय प्रदान की जा सकेगी।"

4. **मूल विनियम के विनियम 7 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"सीईसी द्वारा तैयार किए गए पैनल से अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को आरंभिक रूप से 2 वर्ष की अवधि के लिए वयैक्तिक परामर्शी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त किए जाने की अवधि को अभ्यर्थी के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रत्येक अवसर पर एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा जो 4 वर्षों की कुल अवधि तक सीमित होगी। फीस पर 10 प्रतिशत तक की वार्षिक वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान वैयक्तिक परामर्शी के कार्यनिष्पादन के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन से दी जा सकेगी।"

5. **मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (7) को हटाना** : मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (7) को हटा दिया जाएगा।

6. **मूल विनियम के विनियम 8क का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 8क के खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) स्टाफ परामर्शी को शैक्षणिक योग्यताओं, वर्षों के कुल अनुभव, क्षेत्र की विशेषज्ञता और परिदेयों के लिए अपेक्षित जानकारी को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित श्रेणियों में उपयुक्त कार्यात्मक पदनाम में नियुक्त किया जाएगा:-

श्रेणी	मासिक फीस रैंज* (₹ में)	अनुभव (किए गए पूर्ण वर्षों में)	अर्हताएं
अनुसंधान सहायक	45,000/- से 59,000/-	शून्य से तीन वर्ष	कार्य अपेक्षा के अनुरूप निर्देश निबंध के जारी किए जाने के समय विनिश्चित किया जा सकेगा।
अनुसंधान अधिकारी	64,000/- से 85,000/-	चार से सात वर्ष	
वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी	94,000/- से 1,03,000/-	आठ से नौ वर्ष	
प्रधान अनुसंधान अधिकारी	1,10,000	दस वर्ष और उससे अधिक	

*सेवा कर, यदि लागू हो, को छोड़कर। फीस को ठीक पूर्ववर्ती रोजगार में ली गई परिलब्धियों पर विचार करते हुए नियत किया जाएगा।

परंतु यह कि उन अन्य व्यक्तियों से परामर्शी की नियुक्ति, जो सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त/सांविधिक निकायों से सेवानिवृत हुए हैं, निम्नानुसार शासित होगी:-

श्रेणी	मासिक फीस रैंज* (₹ में)	अर्हताएं एवं अनुभव
तकनीकी अधिकारी 'ए'	50,000/- से 60,000/-	शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं पूर्व संगठन (संगठनों) में धारित पद के आधार पर
तकनीकी अधिकारी 'बी'	65,000/- से 85,000/-	
तकनीकी अधिकारी 'सी'	90,000/- से 1,10,000/-	

*सेवा कर, यदि लागू हो, को छोड़कर।

7. **मूल विनियम के विनियम 8क का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 8क के खंड (6) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(6) स्टाफ परामर्शी को आरंभिक रूप से 2 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि को अभ्यर्थी के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रत्येक अवसर पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है जो 4 वर्षों की कुल अवधि तक सीमित

होगी। योग्य मामलों में फीस पर 10 प्रतिशत तक वार्षिक वृद्धि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कार्यनिष्पादन के आधार पर अध्यक्ष के अनुमोदन से दी जा सकेगी।"

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/14]

टिप्पण : मूल विनियम, भारत के राजपत्र (असाधारण) सं. 160, भाग-3, खंड 4 में तारीख 14 अक्तूबर, 2008 में प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2014

No. L-7/1/0S44(59)-CERC.—In exercise of the powers conferred under Section 91(4) read with Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission, hereby makes the following regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) Regulations, 2008 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely:—

1. **Short title and commencement -** (1) These regulations shall be called the Central Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Second Amendment) Regulations, 2014;

   (2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Amendment of Regulation 4 of Principal Regulations :** Regulation 4 of the Principal Regulations shall be substituted as under:—

   "Consultants shall be engaged for the minimum period as required for the specific work (special job) and deliverables and in no case engagement of consultant shall exceed a continuous period of four years."

3. **Insertion of a new clause under Regulation 7:** After clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations, a new clause (1A) shall be added as under:—

   "(1A) Individual consultant shall be engaged in the category of "Adviser" with a maximum consolidated fee of ` 1,50,000/- (excluding service tax, if applicable) per month or in the category of "Senior Adviser" with a consolidated fee of ` 2,25,000/- (excluding service tax, if applicable) per month, commensurate with their academic qualifications, total experience in number of years, domain expertise and knowledge required for the deliverables. In deserving cases, additional fee not exceeding 10% of the fees indicated above may be granted at the time of initial engagement on the basis of the recommendations of the Selection Committee and after approval by the Chairperson."

4. **Amendment of Regulation 7 of Principal Regulations :** Clause (6) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be substituted as under:—

   "(6) The candidate approved by the Chairperson from the panel prepared by the CEC shall be engaged as individual consultant initially for a period of two years. The period of engagement may be extended, based on satisfactory performance of the candidate, by a period upto one year, on each occasion, limited to a total period of four years. An annual escalation upto 10% on the fee may be given with the approval of the Chairperson based on the performance of the individual consultant during the preceding year."

5. **Deletion of clause (7) of Regulation 7 of Principal Regulations :** Clause (7) of Regulation 7 of the Principal Regulations shall be deleted.

6. **Amendment of Regulation 8A of Principal Regulations :** Clause (4) of Regulation 8A of the Principal Regulations shall be substituted as under:—

"(4) The Staff Consultant shall be engaged with appropriate functional designation, in the following categories, commensurate with the academic qualifications, total experience in number of years, domain expertise and knowledge required for the deliverables."

Category	Monthly Fee Range* (in `)	Experience (in completed years)	Qualifications
Research Associate	45,000/- to 59,000/-	Zero to Three years	As may be decided at the time of issue of Terms of Reference commensurate with the work requirement.
Research Officer	64,000/- to 85,000/-	Four to Seven years	
Senior Research Officer	94,000/- to 1,03,000/-	Eight to Nine years	
Principal Research Officer	1,10,000/-	Ten years and above	

*excluding service tax, if applicable. Fee shall be fixed taking into consideration the emoluments drawn in immediate previous employment.

Provided that the engagement of Consultants from among persons who have retired from the Government, Public Sector Undertakings or Autonomous/Statutory Bodies shall be governed by the following: —

Category	Monthly Fee Range* (in `)	Qualifications & Experience
Technical Officer 'A'	50,000/- to 60,000/-	Based on the academic qualification, experience and position held in the previous organization(s).
Technical Officer 'B'	65,000/- to 85,000/-	
Technical Officer 'C'	90,000/- to 1,10,000/-	

*excluding service tax, if applicable.

7. Amendment of Regulation 8A of Principal Regulations: Clause (6) of Regulation 8A of the Principal Regulations shall be substituted as under :—

"(6) The Staff Consultant shall be engaged initially for a period of two years. The period of engagement may be extended, based on satisfactory performance of the candidate, by a period up to one year, on each occasion, limited to a total period of four years. In deserving cases, an annual escalation upto 10% on the fee may be given with the approval of the Chairperson based on the performance during the preceding year."

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./150/14]

Note: The principal regulations were published in the Gazette of India (Extraordinary) No. 160, Part III, Section 4 on 14 October, 2008.

3987GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054